[2019] 5 एस. सी. आर 679

इंडिबिलिटी क्रिएटिव पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस.

वी.

पश्चिम बंगाल और ओआरएस की सरकार।

(2019 की लिखित याचिका (सिविल) सं. 306)

अप्रैल 11,2019

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और

हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

भारत का संविधान-कला। 19 , 32 - याचिकाकर्ताओं ने एक सामाजिक और राजनीतिक व्यंग्य वाली बंगाली फिल्म 'भोबिष्योतर भूत' का निर्माण किया।

भूतों के बारे में-दूसरा याचिकाकर्ता-फिल्म के निर्देशक को 11 फरवरी 19 को, 15 फरवरी 19 को अपनी निर्धारित रिलीज से चार दिन पहले, संयुक्त पुलिस आयुक्त (खुफिया), विशेष शाखा से 12 फरवरी 19 तक फिल्म की पूर्व स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने के लिए पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि इनपुट प्राप्त हुए थे "कि फिल्म की सामग्री जनता की भावनाओं को आहत कर सकती है जिससे राजनीतिक कानून और व्यवस्था के मुद्दे पैदा हो सकते हैं" दूसरे याचिकाकर्ता द्वारा जवाब दिया गया-पहला याचिकाकर्ता-कंपनी, फिल्म की सह निर्माता, 15 फरवरी 19 को फिल्म की रिलीज के साथ आगे बढ़ी-हालाँकि, इसके रिलीज़ होने के एक दिन के भीतर ही अधिकांश प्रदर्शकों ने अचानक फिल्म को अपने स्क्रीन से हटा दिया, दर्शकों को टिकट वापस कर दिए गए-आयोजितः पुलिस, एक स्वतंत्र समाज में, सार्वजनिक नैतिकता के स्व-नियुक्त संरक्षक नहीं हैं-उनके बल का वर्दीधारी अधिकार कानून के शासन के अधीन है-संयुक्त आयुक्त इस तथ्य से बेपरवाह नहीं थे कि फिल्म को कोलकाता शहर और पश्चिम बंगाल राज्य के सिनेमाघरों में उनके संचार के कुछ दिनों के भीतर रिलीज़ करने के लिए निर्धारित किया गया था-यदि निर्माताओं के फिल्म प्रदर्शित करने के अधिकार पर कोई संदेह था, तो इसे तब समाप्त कर दिया गया जब निर्माताओं ने तुरंत उन्हें सूचित किया कि फिल्म सीबीएफसी (केंद्रीय फिल्म बोर्ड) है।

प्रमाणन) प्रमाणित-एक फिल्म को प्रमाणित करने के लिए सांविधिक प्राधिकरण

1952 के अधिनियम राज्य अधिनियम (धारा 6,1954 अधिनियम) और केंद्रीय अधिनियम (धारा 13,1952 अधिनियम) के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक प्रदर्शनी सी. बी. एफ. सी. में निहित है, जिसमें वे शर्तें प्रदान की गई हैं जिनमें राज्य सरकार, या जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार (या एक स्थानीय प्राधिकरण) किसी फिल्म की प्रदर्शनी को निलंबित कर सकती है, जहां इससे शांति भंग होने की संभावना है-इन वैधानिक प्रावधानों की शर्तों के तहत जारी किया गया कोई भी आदेश वैधानिक नियंत्रण के साथ-साथ कानूनी नियंत्रण के अधीन है।

[2019] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालयों की पर्यवेक्षी अधिकारिता यू/आर्ट। 226 या, जैसा भी मामला हो, इस न्यायालय की मूल अधिकारिता यू/आर्ट। 32 -

सी. बी. एफ. सी. द्वारा प्रमाणित एक फिल्म के निर्माता को फिल्म के प्रदर्शन के लिए अनुबंधों सहित सावधानीपूर्वक व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है-अतिरिक्त संवैधानिक अधिकार को समाप्त करना वैध अपेक्षाओं के लिए विनाशकारी है-आई. एन. ओ. एक्स. द्वारा निर्माता को संबोधित पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि उन्हें अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था।

मेहमानों के हित में प्रदर्शन बंद करें '-यह सार्वजनिक शक्ति का स्पष्ट दुरुपयोग था-पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपनी वैधानिक शक्तियों का उल्लंघन किया-पश्चिम बंगाल राज्य, प्रधान सचिव, गृह और पुलिस महानिदेशक को कई अंतरिम निर्देश जारी किए गए थे। 15 19 और 25 मार्च 19-पुष्टि की गई-राज्य ने फिल्म के वैध प्रदर्शन को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के अतिरिक्त संवैधानिक साधनों का सहारा लेने से रोक दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि फिल्म प्रदर्शित करने वाले थिएटर मालिकों की संपत्तियों को उनकी सुरक्षा के प्रयासों के खिलाफ उचित रूप से संरक्षित किया जाए-सिनेमाघरों से फिल्म को हटाने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार और कानूनी व्यवसाय करने के उनके अधिकार का उल्लंघन करना पड़ा है-वर्तमान मामले में उपचारात्मक मुआवजे के अनुदान के लिए सार्वजनिक कानून में एक उपाय की आवश्यकता है। क्षतिपूर्ति-याचिकाकर्ता 1 लाख रुपये की कार्यवाही की लागत के भी हकदार हैं-सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952-एस. एस. 4 , 5 , 5 ए, 5 बी, 13-पश्चिम बंगाल सिनेमा (विनियमन) अधिनियम 1954 - एस. 6 सार्वजनिक कानून-उपचारात्मक मुआवजे का अनुदान।

भारत का संविधान-कला। 19 (1) ((a) स्वतंत्रता का अधिकार

भाषण और अभिव्यक्ति-राज्य के कर्तव्य का अभ्यास-चर्चा की गई। याचिकाकर्ताओं ने भूतों के बारे में एक सामाजिक और राजनीतिक व्यंग्य, 'भोबिष्योतर भूत' नामक एक बंगाली फिल्म का निर्माण किया। फिल्म के दूसरे याचिकाकर्ता निर्देशक को चार दिन पहले 11 Feb.19 पर पत्र मिला था।

15 फरवरी 19 को संयुक्त से इसकी निर्धारित रिलीज के लिए

पुलिस आयुक्त (खुफिया), विशेष शाखा 12 फरवरी 19 तक फिल्म के पूर्व प्रदर्शन की व्यवस्था करने के लिए, यह कहते हुए कि इनपुट प्राप्त हुए थे कि "फिल्म की सामग्री जनता की भावनाओं को आहत कर सकती है जिससे राजनीतिक कानून और व्यवस्था के मुद्दे पैदा हो सकते हैं"। दूसरा याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए जवाब दिया कि इन "इनपुट" को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा पहले ही संबोधित किया जा चुका है।

इंडिबिलिटी क्रिएटिव पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. पश्चिम बंगाल की सरकार

इससे पहले कि इसने फिल्म की रिलीज के लिए मंजूरी जारी की। फिल्म 15 फरवरी 19 को रिलीज़ हुई। हालाँकि, इसके रिलीज़ होने के एक दिन के भीतर

अधिकांश प्रदर्शकों ने अचानक फिल्म को अपने पर्दे से हटा दिया। प्रदर्शकों द्वारा बिना किसी कारण के दर्शकों को टिकट वापस किए जा रहे थे। इसलिए, वर्तमान याचिका।

रिट याचिका को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 पुलिस एक स्वतंत्र समाज में सार्वजनिक नैतिकता के स्व-नियुक्त संरक्षक नहीं हैं। उनके बल का वर्दीधारी अधिकार कानून के शासन के अधीन है। वे घमंड नहीं कर सकते।

तुरंत उन्हें सूचित किया गया कि फिल्म को सी. बी. एफ. सी. प्रमाणित किया गया है। सिनेमाटोग्राफ अधिनियम के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए एक फिल्म को प्रमाणित करने का वैधानिक अधिकार सीबीएफसी में निहित है। 1952. धारा 4,5,5 ए और 5 बी ने सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए फिल्मों की परीक्षा और प्रमाणन के लिए एक वैधानिक संहिता प्रदान की। धारा 5 बी की उप-धारा (1) में उन आधारों का प्रावधान है जिनके आधार पर किसी फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। प्रमाणन देने से इनकार करने का आदेश अधिनियम में निर्धारित उपायों के अधीन है। राज्य अधिनियम (पश्चिम बंगाल सिनेमा की धारा 6)

(विनियमन) अधिनियम 1954) और केंद्रीय अधिनियम (सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 13) ऐसी शर्तें प्रदान करते हैं जिनमें

राज्य सरकार, या जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार (या एक स्थानीय प्राधिकरण) किसी फिल्म की प्रदर्शनी को निलंबित कर सकती है, जहां इससे शांति भंग होने की संभावना है। कोई भी आदेश जो इन वैधानिक प्रावधानों की शर्तों के तहत जारी किया जाता है, विषय है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के वैधानिक नियंत्रण के साथ-साथ पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार या, जैसा भी मामला हो, अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय की मूल क्षेत्राधिकार के लिए। ये नियम

कानून के ढांचे के नियम में व्याख्या की जानी चाहिए। वैधानिक शक्ति की अधिकता या दुरुपयोग संवैधानिक गारंटी के लिए उत्तरदायी है जो नागरिक को मनमाने ढंग से राज्य की कार्रवाई से बचाती है।

नागरिक को कार्रवाई के कारणों या आधार के बारे में सूचित किए बिना अधर में छोड़ दिया जाता है। इसका भाषण को चुप कराने और राय की अभिव्यक्ति पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। समकालीन घटनाएँ यह बताता है कि असहिष्णुता बढ़ रही हैः असहिष्णुता जो समाज में दूसरों के स्वतंत्र रूप से समर्थन करने के अधिकारों को अस्वीकार कर रही है

उनके विचार और उन्हें प्रिंट में, थिएटर में या सेल्युलॉइड मीडिया में चित्रित करना। संगठित समूह और हित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। यदि नाटक-लेखक, कलाकार, संगीतकार या अभिनेता के अधिकार को लोकप्रिय धारणाओं के अधीन किया जाता है कि क्या स्वीकार्य है या क्या स्वीकार्य नहीं है, तो संविधान के तहत अधिकार और इसकी गारंटी को भ्रामक बना दिया जाएगा। कला का वास्तविक उद्देश्य, जैसा कि इसके असंख्य रूपों में प्रकट होता है, सवाल पूछना और उकसाना है। मौलिक अर्थ में कला यह उन धारणाओं पर सवाल उठाने की मानवीय इच्छा को दर्शाता है जिन पर सामाजिक मूल्यों की स्थापना की जा सकती है। प्रचलित सामाजिक मूल्यों और लोकप्रिय संस्कृतियों पर सवाल उठाते हुए, प्रत्येक कला रूप एक दृष्टिकोण का समर्थन करना चाहता है। कलाकार की दृष्टि का आधार अस्तित्व के लिए एक नया अर्थ खोजने की इच्छा है। ऐसा करने के प्रयास में कलाकार को आलोचना और आलोचना करने की पूरी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यंग्य और विडंबना मनोरंजन की खोज के इच्छुक सहयोगी हैं जबकि एक ही समय में आत्म-चिंतन की ओर ले जाने के लिए। कला मुख्यधारा के लिए उतनी ही है जितनी हाशिए के लिए। संविधान प्रत्येक नागरिक की उतना ही विश्वास करने की क्षमता की रक्षा करता है जितना कि संवाद करने के लिए, उतना ही अवधारणा बनाने के लिए जितना साझा करने के लिए।

पब्लिक पावर इंडिबिलिटी क्रिएटिव पी. वी. टी. लिमिटेड वी. पश्चिम बंगाल की सरकार

इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र केवल एक लोकतंत्र है।

क्योंकि संविधान अविभाज्य स्वतंत्रताओं को मान्यता देता है

अपारदर्शिता और मनमाने राज्य व्यवहार के बादल से प्रभावित। सी. बी. एफ. सी. द्वारा प्रमाणित एक फिल्म के निर्माता को फिल्म की प्रदर्शनी के लिए अनुबंधों सहित सावधानीपूर्वक व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त संवैधानिक अधिकार का उपयोग वैध अपेक्षाओं के लिए विनाशकारी है। संवैधानिक योजना के तहत, प्रतिबंध केवल या द्वारा लगाए जा सकते हैं राज्य द्वारा बनाए गए कानून के तहत। पश्चिम बंगाल राज्य ने न्यायालय को सूचित किया कि उसने राज्य या केंद्रीय कानून के तहत अपनी वैधानिक शक्तियों का सहारा नहीं लिया है। याचिकाकर्ताओं की यह आशंका कि यह एक ऐसी कार्रवाई थी जो संयुक्त पुलिस आयुक्त के 11 फरवरी 2019 के पत्र पर की गई थी, निराधार नहीं है। आई. एन. ओ. एक्स. द्वारा निर्माता को संबोधित पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि उन्हें अधिकारियों द्वारा 'मेहमानों के हित' में प्रदर्शन बंद करने का निर्देश दिया गया था। यह सार्वजनिक शक्ति का स्पष्ट दुरुपयोग था। पुलिस को कानून लागू करने का काम सौंपा गया है। वर्तमान मामले में, पश्चिम बंगाल पुलिस के पास [2019] 5 एस. सी. आर. हैं।

अपनी वैधानिक शक्तियों को पार कर लिया और भाषण को चुप कराने, प्रचलित संस्कृतियों की आलोचना करने वाले विचारों को कम करने और कानून का पालन करने वाले नागरिकों को खतरे में डालने के एक ठोस प्रयास में उपकरण बन गए। प्रस्तुत करना। [पारस 16,17] [708-सी-ई; 709-ए-सी; 710-ए-एच; 711-ए-एच; 712-ए]

1.2 अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताएँ सार्वभौमिक हैं। अनुच्छेद 19 (1) में कहा गया है कि सभी नागरिकों को वे स्वतंत्रताएँ मिलेंगी जिन्हें वह मान्यता देता है। राजनीतिक स्वतंत्रताएँ लागू करती हैं

एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण करके राज्य पर प्रभाव को रोकना जिसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए, इन स्वतंत्रताओं को राज्य पर संयम के दायित्वों को लागू करने के लिए माना जाता है। लेकिन, राज्य पर 'नकारात्मक' प्रतिबंध लगाने के अलावा ये स्वतंत्रताएँ एक सकारात्मक जनादेश भी लागू करती हैं। कानून के शासन को लागू करने वाले एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में, राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन स्थितियों में ये स्वतंत्रताएँ पनपती हैं, उन्हें बनाए रखा जाए। अंतरिक्ष में

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आरक्षित, जब संगठित हितों के लिए खतरा हो तो राज्य बेपरवाह नहीं दिख सकता है।

स्वतंत्रता का अस्तित्व। राज्य उन स्थितियों की व्यापकता सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है जिनमें उन स्वतंत्रताओं का प्रयोग किया जा सकता है। राज्य के उपकरणों का उपयोग स्वतंत्रता के प्रयोग को प्रभावी बनाने के लिए किया जाना चाहिए। जब संगठित हितों से थिएटर मालिकों या दर्शकों की संपत्तियों को प्रतिशोध के साथ खतरा होता है, तो यह सुनिश्चित करना राज्य का स्पष्ट कर्तव्य है कि भाषण भीड़ के डर से चुप न हो। वर्तमान मामले में, वहाँ

निर्माताओं, अभिनेताओं और दर्शकों के मौलिक अधिकारों पर आक्रमण करने का एक असंवैधानिक प्रयास रहा है। इससे भी बदतर, उनमें से एक उदाहरण बनाकर, आलोचना और आलोचना को चुप कराने का प्रयास किया गया है। अन्य जो इसी तरह की शुरुआत करते हैं

उद्यम 'समान दुस्साहस' के भयावह प्रभाव के अधीन होगा। इसे एक स्वतंत्र समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता सत्ता की प्रार्थना नहीं है। इस न्यायालय के 15 मार्च 2019 और 25 मार्च 2019 के आदेशों द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य, प्रधान सचिव, गृह और पुलिस महानिदेशक को कई निर्देश जारी किए गए थे। जारी किए गए निर्देश ये हैं -

फीचर फिल्म के वैध प्रदर्शन को रोकने के लिए राज्य किसी भी प्रकार के अतिरिक्त संवैधानिक साधनों का सहारा नहीं ले रहा है भोबिश्योतेर भूत। राज्य विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि इंडिबिलिटी क्रिएटिव पी. वी. टी. लिमिटेड।

वी. पश्चिम बंगाल की सरकार

फिल्म प्रदर्शित करने वाले थिएटर मालिकों की संपत्तियों को उनकी सुरक्षा के प्रयासों के खिलाफ दर्शकों की तरह ही विधिवत रूप से संरक्षित किया जाता है। [पारस 18,19] [712-ए-एच]

1.3 फिल्म के हटने के परिणामस्वरूप

सिनेमाघरों में जहां इसे 16 फरवरी 2019 को प्रदर्शित किया गया था, याचिकाकर्ताओं को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार और एक वैध व्यवसाय को आगे बढ़ाने के उनके अधिकार का उल्लंघन करना पड़ा है। यह आयोग के कार्यों और किसी भी स्थिति में, राज्य की ओर से मौलिक स्वतंत्रताओं की पुष्टि करने, उन्हें पूरा करने और उनका सम्मान करने में विफल रहने के कारण हुआ है।

याचिकाकर्ता। वर्तमान मामले में उपचारात्मक मुआवजे के अनुदान के लिए सार्वजनिक कानून में एक उपाय की आवश्यकता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे वर्तमान फैसले की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं को 20 लाख रुपये का मुआवजा दें। याचिकाकर्ता एक महीने के भीतर भुगतान की जाने वाली 1 लाख रुपये की कार्यवाही की लागत के हकदार होंगे। [पैरा 20,21] [713-ए-सी]

रोमेश थापर बनाम। मद्रास ए. आई. आर. 1950 एस. सी.

124 [1950] इसके बाद एस. सी. आर. 594 आया।

प्रकाश झा प्रोडक्शंस बनाम। भारत संघ (2011) 8

एस. सी. सी. 372; मनोहर लाल शर्मा बनाम संजय लीला

भंसाली (2018) 1 एससीसी 770 [2017] एससीआर 111;

वाया कॉम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018) 1 एस. सी. सी.

761 ; एल. आई. सी. बनाम मनुभाई शाह (1992) 3 एस. सी. सी. 637: [1992] 3 एस. सी. आर. 595; गजानन विशेश्वर बिरजुर बनाम। संघ का

भारत (1994) 5 एस. सी. सी. 550 [1994] 1 पूरक। एससीआर 466; एस. रंगराजन बनाम। पी. जगजीवन राम (1989) 2 एससीसी 574: [1989] 2 एससीआर 204; डी. सी. सक्सेना बनाम। भारत के मुख्य न्यायाधीश (1996) 5 एस. सी. सी. 216: [1996] 3 पूरक। एससीआर 677; के. एम. शंकरप्पा बनाम। भारत संघ (2001) 1 एस. सी. सी. 582 [2000] 5 पूरक। एस. सी. आर. 117; निदेशक

जनरल, दूरदर्शन महानिदेशालय बनाम। आनंद पटवर्धन (2006) 8 एस. सी. सी. 433 [2006] 5 पूरक। एससीआर 403; प्रकाश झा प्रोडक्शंस बनाम। भारत संघ

(2011) 8 एस. सी. सी. 372; वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड v. भारत संघ (2018) 1 एस. सी. सी. 671-पर निर्भर था।

[2019] 5 एस. सी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आनंद चिंतामणि दिघे बनाम। महाराष्ट्र राज्य 2001

क्रि एल. जे. 2203; एफ. ए. पिक्चर इंटरनेशनल बनाम केंद्रीय बोर्ड

फिल्म प्रमाणन विभाग, मुंबई आकाशवाणी 2005 बम 145; विशेष वर्मा बनाम। बिहार राज्य (2008) 56 (2) बीएलजेआर

1773 ; मकबूल फिदा हुसैन बनाम। राजकुमार पांडे 2008

क्रि एल. जे. 4107; एस. तमिलसेल्वन बनाम। तमिलनाडु राज्य

2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 5960-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

उस पर भरोसा करें

(2011) 8 एस. सी. सी. 372

पै

रा 7

[2017] एससीआर 111

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7

(2018) 1 एस. सी. सी. 761

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7

[1950] एससीआर 594

पीछा किया।

पै

रा 14

[1992] 3 एससीआर 595

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

[1994] 1 पूरक। एससीआर 466

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

[1989] 2 एससीआर 204

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

उस पर भरोसा करें

[1996] 3 पूरक। एससीआर 677

पै

रा 14

[2000] 5 पूरक। एससीआर 117

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

[2006] 5 पूरक। एससीआर 403

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

2001 क्राई एलजे 2203

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

एयर 2005 बॉम 145

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

(2008) 56 (2) बीएलजेआर 1773

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

पै

रा 14

2008 सी. आर. आई. एल. जे. 4107

संदर्भित किया गया है

(2011) 8 एस. सी. सी. 372

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

(2018) 1 एस. सी. सी. 761

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लेखन याचिका (सिविल)

306 2019 से।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

श्री संजय पारिख, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री रुखसाना चौधरी, नारा

कृष्ण, सुश्री संजना श्रीकुमार, ऋत्विक पारिख, गौरव जैन, याचिकाकर्ताओं के वकील।

इंडिबिलिटी क्रिएटिव पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. पश्चिम बंगाल की सरकार

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुहान मुखर्जी, सुश्री आस्था शर्मा, अमित वर्मा, अभिषेक मनचंदा, सुश्री काजल दलाल, अमित

भंडारी (एम/एस के लिए। पी. एल. आर. चैम्बर्स एंड कंपनी), एड. उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. सार्थक बंगाली सिनेमा का समर्थन करने के एक मिशन से प्रेरित होकर, याचिकाकर्ताओं ने 'भोबिष्योतर भूत' नामक एक फिल्म का निर्माण किया। उनके

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए शिकायत यह है कि पश्चिम बंगाल राज्य, इसका विभाग

होम और कोलकाता पुलिस ने अपनी बंगाली फीचर फिल्म की सार्वजनिक प्रदर्शनी में पूरी तरह से गैरकानूनी बाधा डाली है। सीधे शब्दों में कहें तो उनकी शिकायत का सारांश उस उद्धरण में दिया गया है जिसे हम याचिका के पहले पैराग्राफ से पुनः प्रस्तुत करते हैं:

" पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है और इसके रूप में कार्य कर रहा है

सी. बी. एफ. सी. के ऊपर बैठा एक 'सुपर-सेंसर' और इसका उल्लंघन कर रहा है याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों की अनुच्छेदों के तहत गारंटी

14,19 (1) (भारतीय संविधान के ए), 19 (1) (जी) और 21 के माध्यम से

कोलकाता पुलिस जो गृह विभाग के अधीन है।

2. पहला याचिकाकर्ता एक कंपनी है जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी। दूसरे और तीसरे याचिकाकर्ता इसके निदेशक हैं। उन्होंने फिल्म का सह-निर्माण किया है। दूसरे याचिकाकर्ता ने पहले मेघनादबोध को पेश किया है।

हाशिए पर और अप्रचलित। फिल्म जीवित मृतकों का शोक व्यक्त करती है। यह पुराने कैबरे को "आइटम नंबर" के साथ बदलने पर विलाप करता है। इसी तरह फिल्म वर्तमान डिजिटल विकल्पों के साथ पिछले समय के टाइपिस्टों और हॉरोलॉजिस्टों के पतन पर शोक व्यक्त करती है। यह फिल्म पत्रकारिता, फिल्म निर्माण और राजनीति के प्राचीन मूल्यों पर आधारित है, जिसे समकालीन समाज समझौता के रूप में देखता है। बंगाल की एक समृद्ध संस्कृति है। भूतों के बारे में कहानियाँ जिन्हें "दोस्ताना और मजेदार" कहा जाता है। निर्देशक द्वारा पहले की फिल्म में जिन पात्रों की कल्पना की गई थी, उनमें से एक को आज बंगालियों के बीच एक घरेलू नाम कहा जाता है। अनिक दत्ता, [2019] 5 एस. सी. आर. के निदेशक।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

फिल्म, सार्थक सिनेमा का नायक है। उनकी फिल्में दर्शकों को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर प्रतिबिंबित करने के लिए छोड़ देती हैं। बुद्धि, पंच और हास्य से भरपूर फिल्मों के लिए जाने जाने वाले दत्ता ने भूतेर भोबिश्योत (भूतों का भविष्य) का निर्माण किया, एक कॉमेडी जिसने बंगाली सिनेमा में दृश्य कला के रूप में भूतों के उपयोग को लोकप्रिय बनाया। फिल्म में एक जीर्ण-शीर्ण पुराने घर को मॉल में बदलने के लिए एक अत्याचारी रियल एस्टेट डेवलपर की साजिशों को दर्शाया गया है। फिल्म ने भूतों की एजेंसी को बिल्डरों के खिलाफ प्रेतवाधित घर के रक्षक के रूप में अपनाया। दत्ता की दूसरी फिल्म 'आश्चार्य्यो प्रोदीप' उपभोक्तावाद की संस्कृति द्वारा मध्यम वर्ग के मूल्यों के क्षरण पर आधारित है। उनकी तीसरी फिल्म 'मेघनादबोध रोहोश्यों' को एक राजनीतिक थ्रिलर के रूप में वर्णित किया गया है जो 1970 के दशक के बंगाल को इसके आधुनिक अस्तित्व के साथ जोड़ती है।

4. भोबिश्योतेर भूत के पास सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए यू. ए. प्रमाणन है, जिसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 1 द्वारा 19 नवंबर 2018 को जारी किया गया है। अपने राष्ट्रीय लॉन्च से पहले, फिल्म 15 फरवरी 2019 को कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में रिलीज होने वाली थी। लगभग तीन के लिए

रिलीज से कुछ हफ्ते पहले, फिल्म को अपने संभावित दर्शकों के बीच रुचि दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया था। 11 फरवरी 2019 को, इसकी निर्धारित रिलीज से चार दिन पहले, दूसरे याचिकाकर्ता को एक नंबर से कॉल आया था जो उनके सेल फोन पर 9830720982 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, फोन करने वाले ने अपनी पहचान राज्य खुफिया विभाग के दिलीप बंदोपाध्याय के रूप में बताई

कोलकाता पुलिस की इकाई। फोन करने वाले ने कहा कि उनके कार्यालय को फिल्म के बारे में कुछ जानकारी मिली थी, जिसे वह जल्द ही आगे बढ़ा रहे हैं। जल्द ही, दूसरे याचिकाकर्ता को राज्य खुफिया इकाई से एक पत्र मिला जिसमें उनसे 12 फरवरी 2019 तक कोलकाता पुलिस की खुफिया इकाई के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए फिल्म के पूर्व प्रदर्शन की व्यवस्था करने का आह्वान किया गया था। पत्र में कहा गया है कि इनपुट प्राप्त हुए थे कि "फिल्म की सामग्री जनता की भावनाओं को आहत कर सकती है जिससे राजनीतिक कानून और व्यवस्था के मुद्दे पैदा हो सकते हैं"। दूसरे याचिकाकर्ता ने 12 फरवरी 2019 को जवाब देते हुए कहा कि इन "इनपुट" को सीबीएफसी द्वारा फिल्म की रिलीज के लिए मंजूरी जारी करने से पहले ही संबोधित कर दिया गया था। दूसरे याचिकाकर्ता ने कहा कि इस न्यायालय के निर्णयों में कहा गया है कि इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए किसी अन्य प्राधिकरण या सार्वजनिक कार्यालय के लिए यह खुला नहीं है क्योंकि यह कानून के शासन का उल्लंघन करेगा। दूसरा याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से

(खुफिया), विशेष शाखा, कोलकाता कि उनके कार्यालय में नहीं है

1 सी. बी. एफ. सी. 'इंडिबिलिटी क्रिएटिव पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. पश्चिम बंगाल सरकार [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।]

रिलीज से पहले "कुछ वरिष्ठ अधिकारियों" के लिए "प्राथमिकता के आधार" पर "अग्रिम" निजी जांच की मांग करने का अधिकार क्षेत्र। कोलकाता पुलिस की ओर से आगे कोई सूचना नहीं मिली।

5. पहला याचिकाकर्ता 15 फरवरी 2019 को फिल्म की रिलीज के साथ आगे बढ़ा। पहला शो सुबह 11.00 पर था। एक और शो था 5.50 प्रेस, कलाकारों और चालक दल के लिए दोपहर। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, फिल्म शनिवार, 16 फरवरी 2019 तक खचाखच भरे घरों में चल रही थी। शिकायत यह है कि कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में इसकी रिलीज के एक दिन के भीतर ही अधिकांश प्रदर्शकों ने 16 फरवरी 2019 को बिना किसी समस्या के फिल्म को अचानक अपने पर्दे से हटा दिया।

उत्पादकों से संचार। प्रदर्शकों द्वारा बिना किसी कारण के दर्शकों को टिकट वापस किए जा रहे थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि कानून और व्यवस्था की चिंताओं की भविष्यवाणी करने वाली एक भी घटना दर्ज नहीं की गई थी। जब निर्देशक, कलाकारों और चालक दल के कुछ सदस्यों के साथ, आईनॉक्स साउथ सिटी में प्रदर्शक से यह पूछने के लिए गए कि दर्शकों को टिकट क्यों वापस किए जा रहे हैं, तो प्रदर्शक ने अनाम "उच्च अधिकारियों" का हवाला दिया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें फिल्म को पर्दे से हटाने का निर्देश दिया था। कई प्रदर्शकों ने दावा किया कि स्थानीय पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारियों ने उन्हें फोन किया था या उनसे मुलाकात की थी और उन्हें तत्काल प्रभाव से फिल्म का प्रदर्शन बंद करने के लिए बिना किसी अनिश्चितता के सूचित किया था, ऐसा न करने पर उन्हें अपने सिनेमा हॉल को नुकसान पहुंचाने के जोखिम का सामना करना पड़ेगा।

6. जब तक इस न्यायालय को अपने मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए स्थानांतरित किया गया था, तब तक फिल्म को सिनेमाघरों से हटा दिया गया था।

कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में। अड़तालीस प्रदर्शकों और साठ स्क्रीनों में से, पश्चिम बंगाल के बाहरी जिलों में केवल दो ने फिल्म का प्रदर्शन जारी रखा। फिल्म से अनौपचारिक रूप से हटने को प्रिंट मीडिया में काफी हद तक प्रेस कवरेज मिली। लेखों में वे लेख शामिल थे जो दैनिक संस्करणों में थेः (i) आनंद बाजार पत्रिका दिनांक 17.02.2019; (ii) द टेलीग्राफ दिनांक 17.02.2019; (iii) प्रतिदिन दिनांक 17.02.2019; (iv) द टाइम्स ऑफ इंडिया दिनांक 17.02.2019; और (v) आज काल दिनांक 17.02.2019। 16 फरवरी 2019 को याचिकाकर्ताओं ने एक प्रदर्शकों और ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन को संचार जो निर्माताओं, निर्देशकों, प्रदर्शकों, फिल्म प्रयोगशालाओं और स्टूडियो मालिकों का प्रतिनिधित्व करता है। ई-मेलों को बड़े प्रदर्शकों-आईनॉक्स मूवीज, पीवीआर सिनेमा और सिनेपोलिस को संबोधित कर स्पष्टीकरण मांगा गया था।

फिल्म को अचानक वापस लेने के लिए। कोई जवाब नहीं मिला।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ताओं ने 19 फरवरी 2019 को पुलिस आयुक्त, कोलकाता को एक संचार को संबोधित किया, जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्या पुलिस ने प्रदर्शकों को फिल्म के प्रदर्शन से बचने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ताओं ने यह आश्वासन देने की मांग की कि उनकी आशंकाएं गलत हैं। इन प्रयासों को खामोशी से पूरा किया गया। संक्षेप में, याचिकाकर्ताओं की आशंका यह है कि पश्चिम बंगाल में पुलिस की खुफिया इकाई सहित राज्य के अधिकारियों की ओर से एक संगठित और ठोस प्रयास द्वारा फिल्म की सार्वजनिक प्रदर्शनी में गैरकानूनी हस्तक्षेप किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में रंगमंच, साहित्य और फिल्मों के दिग्गजों द्वारा व्यक्त की गई बेचैनी पर ध्यान केंद्रित किया है। विभिन्न वर्गों की हस्तियों के इन विरोधों का वर्णन याचिका में किया गया हैः

" कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने कोलकाता के सभागारों से फिल्म को हटाए जाने की कड़ी निंदा की है। इनमें प्रसिद्ध कवि, रंगमंच और पथेर पांचाली और कई अन्य बंगाली फिल्मों में दिग्गज फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर्जी, दादासाहेब फाल्के पुरस्कार विजेता, अपर्णा सेन, अभिनेता, पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता और 36 सहित प्रसिद्ध फिल्मों की निर्देशक शामिल हैं।

चौरंगी लेन, बुद्धदेव दासगुप्ता, प्रसिद्ध कवि और समकालीन बंगाली फिल्म निर्माता, निर्देशक, बिभास चक्रवर्ती प्रसिद्ध बंगाली रंगमंच व्यक्तित्व। समकालीन बंगाली सिनेमा के कई अभिनेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और

कोलकाता में प्रदर्शन और उनमें सभ्यसाची शामिल हैं

चक्रवर्ती (फेलुदा फेम), कौशिक सेन, सोहग सेन, चंदन सेन, देबोलीना दत्ता, चंद्रयी घोष, बरुण चंदा और कई अन्य जिनमें फिल्म के निर्देशक अनिक दत्ता, सह-पटकथा लेखक उत्सव मुखर्जी शामिल हैं। सिनेमा कलाकारों, निर्देशकों और निर्माताओं के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आई बाधा को दूर करने के लिए कई बैठकें और वार्ताएं हुई हैं। राज्य को संबोधित खुले पत्र आए हैं, जिसके बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। "

"

इस पृष्ठभूमि में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यवसाय की सुरक्षा के अधिकारों के अलावा, याचिकाकर्ताओं और दर्शकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का सहारा लिया गया है।

7. जिस आधार पर अधिकारिता का उपयोग किया गया है वह यह है किः

इंडिबिलिटी क्रिएटिव पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. पश्चिम बंगाल सरकार [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।]

(i) सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए प्रमाणन प्राप्त करने वाली फिल्म

सी. बी. एफ. सी. द्वारा, पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा अपने गृह विभाग और कोलकाता पुलिस के माध्यम से की गई बाधा कानून के शासन को नष्ट करने के बराबर है।

((ii) फिल्म की सार्वजनिक प्रदर्शनी में बाधा डालने के ये कार्य इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून की अवहेलना के बराबर हैं, जिसके अनुसार एक फिल्म जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी है।

सी. बी. एफ. सी. राज्य द्वारा सेंसरशिप के अधीन नहीं हो सकता है और न ही हो सकता है राज्य अपनी प्रदर्शनी को रोकने के लिए कानून और व्यवस्था के मुद्दों को उठाता है;

((iii) राज्य के अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रयास।

फिल्म के प्रदर्शन के साथ स्वतंत्रता का विनाशकारी है

भाषण और अभिव्यक्ति;

(iv) एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में सी. बी. एफ. सी. को यह निर्धारित करने के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के तहत वैधानिक शक्ति सौंपी गई है कि क्या किसी फिल्म को सार्वजनिक रूप से देखने के लिए प्रमाणित किया जाना चाहिए और यह एकमात्र निकाय है।

उस शक्ति का भंडार; और

(v) राज्य और उसकी एजेंसियों द्वारा अपनाया गया अतिरिक्त संवैधानिक तरीका याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों के लिए विनाशकारी है, इसके अलावा प्रकाश झा प्रोडक्शंस बनाम भारत संघ 2, मनोहर लाल शर्मा में इस न्यायालय के फैसलों में प्रतिपादित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है।

बनाम संजय लीला भंसाली 3 और वाया कॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ ", अन्य के बीच। याचिकाकर्ता अदालत के आदेश का आह्वान करते हैं कि (i) पहले, दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं को निर्बाध रूप से बाधा डालने से रोका जाए।

फिल्म की प्रदर्शनी; (ii) सीबीएफसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र का पालन करना; (iii) फिल्म की प्रदर्शनी में शामिल लोगों और सिनेमाघरों में दर्शकों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करना; और (iv) कानून के शासन को बनाए रखना और कानून और व्यवस्था को बनाए रखना।

फिल्म की निर्बाध प्रदर्शनी और देखने के लिए।

8. जब यह याचिका 15 घंटे 2019 को इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो मुख्य न्यायाधीश को निर्देश देते हुए नोटिस और अंतरिम निर्देश जारी किए गए

टेरी और गृह विभाग के प्रधान सचिव

) 1 एससीसी 770

सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली फिल्म पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है। अंतरिम निर्देश निम्नलिखित शर्तों में थाः

" हम विशेष रूप से मुख्य सचिव और प्रधान सचिव, गृह विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि फिल्म देखने या फिल्म के प्रदर्शन में किसी भी तरह की बाधा या प्रतिबंध न लगाया जाए।

सिनेमाघरों में।

हम मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव और पश्चिम बंगाल राज्य के पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि फिल्म के प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि दर्शक और दर्शक खतरे में न पड़ें और उन सिनेमाघरों की संपत्ति को कोई खतरा न हो जहां फिल्म हो रही है या होगी।

प्रदर्शित किया गया "।

उपरोक्त अंतरिम निर्देशों का औचित्य अंतरिम आदेश में निर्धारित किया गया थाः

" बार-बार, इस अदालत के फैसलों में, यह माना गया है कि एक बार जब किसी फिल्म को सी. बी. एफ. सी. द्वारा विधिवत प्रमाणित कर दिया जाता है, तो यह किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं है।

निर्माता को फिल्म दिखाने से रोकने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक निर्देश जारी करने का अधिकार या तो राज्य सरकार का या अन्यथा। राज्य की ऐसी कार्रवाइयां सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार।

9. जब 25 मार्च 2019 को याचिका पर सुनवाई हुई, तो डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील की ओर से पेश हुए।

प्रत्यर्थियों ने अदालत को सूचित किया कि पहले के निर्देशों का पालन करते हुए, अतिरिक्त महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था), पश्चिम बंगाल ने 19 मार्च 2019 को (i) जिला पुलिस अधीक्षकों; (ii) पुलिस आयुक्तों (कोलकाता सहित); (iii) रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक; (iv) क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक; और (v) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दक्षिण बंगाल को "सूचना और आवश्यक अनुपालन" के लिए इस न्यायालय के आदेश की एक प्रति भेजते हुए पत्र संबोधित किए। 18 मार्च 2019 को प्रधान सचिव, गृह विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए पुलिस आयुक्त, कोलकाता को संबोधित किया गया था। प्रतिवादियों की ओर से इस न्यायालय के समक्ष एक बयान भी दिया गया था कि न तो इंडिबिलिटी क्रिएटिव पी. वी. टी. लिमिटेड।

वी. पश्चिम बंगाल सरकार [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड,

जे.]

क्या फिल्म को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है और न ही पश्चिम बंगाल सिनेमा (विनियमन) अधिनियम 1954 की धारा 6 या धारा 13 में निहित शक्तियों का सहारा लिया गया है? सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952। डॉ. सिंघवी ने एक चार्ट दाखिल किया जो दर्शाता है कि फिल्म वर्तमान में दस सिनेमाघरों में चल रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री संजय पारिख ने कहा कि चार्ट से संकेत मिलता है कि जिन सिनेमाघरों में फिल्म दिखाई जा रही थी, वे कोलकाता के बाहर स्थित थे। इस शिकायत पर ध्यान देते हुए कि विशेष शाखा के संयुक्त पुलिस आयुक्त (खुफिया) द्वारा 11 फरवरी 2019 को संबोधित संचार के बाद, जिन सिनेमाघरों में फिल्म प्रदर्शित की जा रही थी, वे फिल्म का प्रदर्शन बंद करने के लिए मजबूर थे, इस अदालत ने कहाः

" हमारा विचार है कि संयुक्त पुलिस आयुक्त ने निर्देश देने में अपने वैध अधिकार के दायरे से परे काम किया निर्माता कुछ
लोगों के लिए फिल्म की निजी स्क्रीनिंग की व्यवस्था करेंगे

वरिष्ठ अधिकारियों को आशंका है कि फिल्म का प्रदर्शन हो सकता है

"राजनीतिक कानून और व्यवस्था के मुद्दों" की ओर ले जाता है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ("सीबीएफसी") द्वारा फिल्म को प्रमाणित किए जाने के बाद पश्चिम बंगाल राज्य निर्माता और निर्देशक के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए बाध्य है।

संवैधानिक प्रतिबंध "।

तदनुसार, इस न्यायालय ने (i) संयुक्त पुलिस आयुक्त को इस संचार को तुरंत वापस लेने का निर्देश जारी किया कि

उनके द्वारा 11 फरवरी 2019 को फिल्म के निर्माता को संबोधित किया गया था; और (ii) प्रधान सचिव, गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक, पश्चिम बंगाल उन सभी सिनेमाघरों को तुरंत संचार जारी करें जहां फिल्म को मूल रूप से प्रदर्शित किया जा रहा था, उन्हें सूचित करते हुए कि फिल्म के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और राज्य 15 मार्च 2019 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करते हुए, थिएटर मालिकों की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और फिल्म देखने की इच्छा रखने वाले जनता के सदस्यों की सुरक्षा। इस न्यायालय ने प्रधान सचिव, गृह विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस महानिदेशक से अनुपालन के शपथ पत्र मांगे और कहा कि "हम उन्हें उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह ठहराएंगे"।

19] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. 25 मार्च को जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में

2019 , पश्चिम बंगाल राज्य के निदेशक और पुलिस महानिरीक्षक ने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने उन सभी प्रदर्शकों और थिएटर मालिकों को पत्र जारी किए हैं जहां 27 मार्च 2019 को फिल्म मूल रूप से प्रदर्शित की जा रही थी, जिसमें संकेत दिया गया था कि न तो फिल्म के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध था और न ही है और राज्य सरकार फिल्म प्रदर्शित करने वाले सिनेमाघरों की सुरक्षा और फिल्म देखने की इच्छा रखने वाले जनता के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। पचास-एक प्रतिष्ठानों को संचारित किया गया है। प्रधान सचिव, गृह ने भी एक अनुपालन हलफनामा दायर किया है जिसमें उन सभी सिनेमाघरों को संबोधित संचार की एक प्रति संलग्न की गई है जहां फिल्म मूल रूप से प्रदर्शित की जा रही थी। 25 मार्च 2019 को संयुक्त आयुक्त ने

पुलिस (खुफिया), कोलकाता ने 11 फरवरी 2019 को फिल्म के निर्माता को संबोधित पत्र को वापस ले लिया है।

11. अब यह इस पृष्ठभूमि में है कि इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में जिस शिकायत का समाधान किया गया है, उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। 12. तथ्यों के वर्णन से यह स्पष्ट हो गया है कि 'भोबिश्योतेर भूत' पश्चिम बंगाल के सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, दोनों

15 फरवरी 2019 को कोलकाता के भीतर और बाहर। फिल्म की रिलीज से कुछ दिन पहले 11 फरवरी 2019 को विशेष शाखा में संयुक्त पुलिस आयुक्त (खुफिया) ने निर्माता को एक पत्र लिखा था जिसमें "कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जल्द से जल्द फिल्म की निजी स्क्रीनिंग" की मांग की गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि, जैसा कि उन्होंने वर्णन किया, उनके कार्यालय को जो जानकारी मिली थी "कि फिल्म की सामग्री जनता की भावनाओं को आहत कर सकती है जिससे राजनीतिक कानून और व्यवस्था के मुद्दे पैदा हो सकते हैं"। फिल्म को अधिकांश सिनेमाघरों द्वारा बंद कर दिया गया था और अड़तालीस प्रदर्शकों में से केवल दो ने फिल्म का प्रदर्शन जारी रखा। इस न्यायालय को पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा सूचित किया गया है कि उसने पश्चिम बंगाल सिनेमा (विनियमन) अधिनियम 1954 या सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत अपनी शक्तियों का सहारा नहीं लिया है। फिर भी, कुछ अपवादों को छोड़कर, सभी थिएटर मालिकों और प्रदर्शकों ने फिल्म को रडार से हटा दिया। उनमें से एक, आईनॉक्स लीजर लिमिटेड ने अंततः 4 मार्च 2019 को निर्माता को एक संचार को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें "मेहमानों के हित को ध्यान में रखते हुए" फिल्म की "प्रदर्शन बंद करने के लिए अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया गया था"। इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय के समक्ष वैध शिकायत यह है कि वैधानिक शक्ति के प्रयोग का कोई सहारा नहीं है,

राज्य और उसकी एजेंसियों ने निर्माता, निर्देशक और दर्शकों के मौलिक अधिकारों को निरस्त करने के लिए अतिरिक्त संवैधानिक साधनों का सहारा लिया है।

इंडिबिलिटी क्रिएटिव पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. पश्चिम बंगाल सरकार [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

13. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता में उस भाषण की रक्षा करना शामिल है जो स्वादिष्ट है और साथ ही उस भाषण की भी जिसे हम सुनना नहीं चाहते हैं। एक घोषणा वोल्टेयर को श्रेय दिया गयाः " आप जो कहते हैं, मैं उसका तिरस्कार करता हूं, लेकिन यह कहने के आपके अधिकार की मृत्यु तक रक्षा करूंगा, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण के सार को समाहित करता है। बोलने की स्वतंत्रता का संरक्षण इस विश्वास पर आधारित है कि भाषण बचाव के लायक है, तब भी जब कुछ व्यक्ति जो कहा जा रहा है उससे सहमत या तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। यह सिद्धांत लोकतंत्र के केंद्र में है, एक बुनियादी मानव अधिकार है, और इसकी सुरक्षा एक सभ्य और सहिष्णु समाज की निशानी है।

" " 6

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के कारण नैतिक और सहायक दोनों हैं। स्वतंत्र भाषण की रक्षा के लिए नैतिक तर्क एक अवधारणा से लेकर हैं।

एक व्यक्ति होना क्या है, इस विचार के लिए कि भाषण और अभिव्यक्ति में कटौती किसी व्यक्ति की स्वायत्तता या गरिमा का उल्लंघन है। या तो वक्ता या श्रोता के रूप में, या दोनों के रूप में। ये तर्क मनुष्यों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आंतरिक मूल्य पर आधारित हैं, न कि

मापने योग्य परिणाम जो इसे संरक्षित करने से हो सकते हैं। दूसरी ओर वाद्य तर्क इस धारणा पर आधारित है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित करने से ठोस लाभ होते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत खुशी में वृद्धि, एक समृद्ध समाज, या यहां तक कि आर्थिक लाभ के संदर्भ में हो। 9.

जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्नीसवीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों और बुद्धिजीवियों में से एक, ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पहली और शायद अभी भी सबसे प्रसिद्ध उदार रक्षा प्रस्तुत की। 10 उनकी शास्त्रीय पुस्तक ऑन लिबर्टी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में दार्शनिक बहस पर हावी हैः

" मिल इस दृष्टिकोण का बचाव करते हैं कि अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता एक

पूर्व शर्त न केवल व्यक्तिगत सुख के लिए, बल्कि एक समृद्ध समाज के लिए भी है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के बिना, मानव जाति से ऐसे विचार लूटे जा सकते हैं जो अन्यथा इसके विकास में योगदान देते। बोलने की स्वतंत्रता को बनाए रखने से सत्य के त्रुटि और आधे सत्य के साथ टकराव से उभरने की संभावना बढ़ जाती है। यह भी।

' नाइजल वारबर्टन, फ्री स्पीचः एक बहुत छोटा परिचय (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस)

2009) , पृष्ठ 27 पर

' आईडी, पृष्ठ 57 पर। 10 फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी, यहां उपलब्ध हैः //

प्लेटो। स्टेनफोर्ड। शिक्षा/प्रविष्टियाँ/स्वतंत्रता-भाषण/#HarPriFreSpe [2019] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उन लोगों की मान्यताओं को पुनर्जीवित करता है जो अन्यथा जोखिम में होंगे

विचारों को मृत हठधर्मिता के रूप में रखने का "। 1 1

हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की यह शक्तिशाली रक्षा स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर एक सीमा के साथ भी है, जिसे आमतौर पर "हानि सिद्धांत" के रूप में जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि "एकमात्र उद्देश्य जिसके लिए किसी भी सभ्य सदस्य पर अधिकारपूर्वक शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

समुदाय, उसकी इच्छा के विरुद्ध, दूसरों को नुकसान पहुँचाने से रोकने के लिए है। 1 2 जबकि

मिल द्वारा विकसित उदार सिद्धांतों का अनुप्रयोग कई क्षेत्रों तक फैला हुआ है, स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के क्षेत्र को सत्य के साथ इसके संबंध के कारण उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता था और विकास। 13 1 3 वह निम्नलिखित शब्दों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हैं:

" यदि एक राय का मालिक के अलावा कोई मूल्य नहीं है, अगर इसका आनंद लेने में बाधा डालना केवल एक निजी चोट थी, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा कि चोट केवल कुछ व्यक्तियों को लगी थी या कई लोगों को। लेकिन एक राय की अभिव्यक्ति को चुप कराने की विचित्र बुराई यह है कि यह मानव जाति को लूट रहा है-जो राय से असहमत हैं वे और भी अधिक हैं।

उन लोगों की तुलना में जो इसे रखते हैं। 14

रोनाल्ड ड्वोर्किन ने तर्क दिया कि अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता के बिना एक सरकार में वैधता की कमी होगी और इसलिए इसे "लोकतांत्रिक" नहीं कहा जाना चाहिए:

" अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वैध सरकार की एक शर्त है। कानून और नीतियाँ तब तक वैध नहीं हैं जब तक कि उन्हें एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से नहीं अपनाया गया है, और एक प्रक्रिया लोकतांत्रिक नहीं है जब तक कि

सरकार ने किसी को भी अपने विश्वास व्यक्त करने से रोक दिया है

उन कानूनों और नीतियों के बारे में "। 1 5

ड्वोर्किन ने लोकतंत्र की अवधारणा न केवल निर्णय लेने के लिए एक औपचारिक संरचना के रूप में बल्कि एक संवैधानिक अवधारणा के रूप में की है जो सभी व्यक्तियों की भागीदारी की अनुमति देती है, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं।

11 1 1 शीर्ष टिप्पणी 6, पृष्ठ 68 पर 1 2 बोलने की स्वतंत्रता, स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी, यहां उपलब्ध है: //

प्लेटो। स्टेनफोर्ड। शिक्षा/प्रविष्टियाँ/स्वतंत्रता-भाषण/#HarPriFreSpe

13 शीर्ष टिप्पणी 6, पृष्ठ 73 पर।

14 शीर्ष टिप्पणी 6, पृष्ठ 89 पर। 1 5 रोनाल्ड ड्वोर्किन, "द राइट टू रिडिक्यूल", न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स, 23 मार्च

2006 .

इंडिबिलिटी क्रिएटिव पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. पश्चिम बंगाल सरकार [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अपरंपरागत विचार। 16 1 6 लोकतंत्र की यह धारणा राज्य के विचार के साथ असंगत है जो सार्वजनिक बहस तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है, क्योंकि इस तरह के प्रतिबंध लोकतंत्र की समझ को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में बाधित करेंगे जिसे समाज में सभी द्वारा आकार दिया जा सकता है। 1 7 17

व्यंग्य एक साहित्यिक शैली है जहाँ "सामयिक मुद्दों" को "उपहास या विडंबना के माध्यम से तिरस्कार के लिए रखा जाता है"। 1 8 यह सबसे प्रभावी कला रूपों में से एक है जो जीवन में बेतुकेपन, पाखंड और विरोधाभासों को प्रकट करता है। इसमें जल्दी और स्पष्ट रूप से एक बिंदु बनाने और समझ को उन तरीकों से सुविधाजनक बनाने की अनूठी क्षमता है जो संचार और अभिव्यक्ति के अन्य रूप अक्सर नहीं करते हैं। हालाँकि, हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि भाषण और अभिव्यक्ति के सभी रूपों की तरह, व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति भी सीमित हो सकती है।

संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत परिकल्पित प्रतिबंधों के अनुसार। उदाहरण के लिए, जब व्यंग्य समाज के हाशिए पर पड़े लोगों को निशाना बनाता है, तो यह

विचाराधीन समूह के खिलाफ लोगों के पूर्वाग्रहों की पुष्टि करने और उन्हें मजबूत करने की शक्ति हो सकती है, जो केवल उन्हें हाशिए पर डालती है और मताधिकार से वंचित करती है

अधिक।

9 अप्रैल 1980 को, जेम्स बाल्डविन ने चिनुआ अचेबे (फ्रेड द्वारा संपादित जेम्स बाल्डविन के साथ बातचीत) के साथ बातचीत की।

स्टेनली और लुई एच प्रैट)। अचेबे का मानना है कि कला का समाज के साथ एक स्थायी संबंध हैः

" कला का एक सामाजिक उद्देश्य होता है और कला लोगों की होती है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो वहाँ घूम रहा है जिसका मनुष्य की जरूरतों से कोई संबंध नहीं है। और कला निर्लज्ज रूप से, निर्लज्ज रूप से है, अगर

ऐसा एक शब्द है, सामाजिक। यह राजनीतिक है; यह आर्थिक है। कुल

मनुष्य का जीवन उसकी कला में परिलक्षित होता है। 1 9

अल्बर्ट कैमस ने "प्रतिरोध, विद्रोह और मृत्यु" शीर्षक वाले अपने निबंधों में कला और स्वतंत्रता के बीच संबंध का एक गहरा बयान दिया हैः

1 6 एरिक बरेन्ड्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, (दूसरा संस्करण, ओयूपी, 2005) pgs 18-19 पर, जैसा कि एओइफ ओ 'रेली, इन डिफेंस ऑफ ऑफ ऑफेंस में उद्धृत किया गया हैः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आक्रामक भाषण, और यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय का दृष्टिकोण, 19 ट्रिनिटी सी. एल. रेव. 234

(2016) .

17 आईडी. 18 माधवी गोराडिया दीवान, मीडिया लॉ के पहलू (ईस्टर्न बुक कंपनी 2013)

पृष्ठ 154।

1 9 जेम्स बाल्डविन के साथ बातचीत, मिसिसिपी विश्वविद्यालय प्रेस, 30 जनवरी 1989 , (फ्रेड एल. स्टैंडले और लुई एच. प्रैट एडस)।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" कला, उस स्वतंत्र सार के आधार पर मैंने परिभाषित करने, एकजुट करने की कोशिश की है जबकि अत्याचार अलग हो जाता है। इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कला को हर प्रकार के उत्पीड़न द्वारा चिह्नित दुश्मन होना चाहिए। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कलाकारों और बुद्धिजीवियों को आधुनिक अत्याचारों का पहला शिकार होना चाहिए था। अत्याचारी जानते हैं कि कला के काम में एक मुक्ति शक्ति है, जो केवल उन लोगों के लिए रहस्यमय है जो इसका सम्मान नहीं करते हैं। प्रत्येक महान कार्य मानव चेहरे को अधिक प्रशंसनीय और समृद्ध बनाता है, और यही इसका पूरा रहस्य है। और हजारों यातना शिविर और वर्जित कक्ष गरिमा की इस चौंका देने वाली गवाही को छिपाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यही कारण है कि यह सच नहीं है कि संस्कृति को अस्थायी रूप से भी निलंबित किया जा सकता है ताकि

एक नई संस्कृति के लिए रास्ता बनाएँ। इसके बिना कोई संस्कृति नहीं है।

विरासत। भविष्य के कार्य जो भी हों, वे वही रहस्य रखेंगे, जो साहस और स्वतंत्रता से बना होगा, जिसे सभी समय और सभी राष्ट्रों के हजारों कलाकारों के साहस से पोषित किया जाएगा। 9 20

सिमोन डी बोवोइर हमें बताती हैं कि कैसे एन. टी. में स्थित प्रत्येक कलाकार सामाजिक अस्तित्व को पार करने के लिए वास्तविकता के साथ अपने जुड़ाव का उपयोग करता हैः

वह आवश्यकता पाता है जो सभी मनुष्यों के लिए समान है; उसे पहले अपने भीतर और सार्वभौमिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए; उसे इसे जीतने का प्रयास करना चाहिएः इस परियोजना के आलोक में स्थितियों को श्रेणीबद्ध किया गया है और इसके कारण हैं

अभिनय को प्रकट किया जाता है। 21

14. इस न्यायालय के कई निर्णयों ने हमारे लोकतंत्र में भाषण और अभिव्यक्ति के मूल्य पर जोर दिया है। इनमें से एक

बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक मामले और

सत्र, रोमेश थापर बनाम। मद्रास राज्य, 22 में यह देखा गयाः

" इस प्रकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अनुमेय विधायी संक्षिप्तकरण के लिए बहुत संकीर्ण और सख्त सीमाएं निर्धारित की गई हैं और यह निस्संदेह इस अहसास के कारण था कि बोलने की स्वतंत्रता

और प्रेस सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव पर टिका हुआ है

संगठन, स्वतंत्र राजनीतिक चर्चा के बिना, कोई सार्वजनिक नहीं

आरटी कैमस और जस्टिन ओ 'ब्रायन, प्रतिरोध, विद्रोह, और मृत्यु, यादृच्छिक घर,

यॉर्क (1960)।

डी ब्यूवोयर, द एथिक्स ऑफ एम्बिगुइटी, बर्नार्ड फ्रेचमैन (अनुवादक)।

1950 एससी 124 इंडिबिलिटी क्रिएटिव पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. पश्चिम बंगाल सरकार [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

शिक्षा, जो लोकप्रिय सरकार की प्रक्रियाओं के उचित संचालन के लिए इतनी आवश्यक है, संभव है।

जीवन बीमा की आलोचना करने वाले एक शैक्षणिक प्रकाशन से संबंधित अपील भारतीय निगम (एल. आई. सी.) की योजनाएं। अखबार का जवाब एल. आई. सी. द्वारा संचालित पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, लेकिन लेखक का जवाब प्रकाशित नहीं किया गया था। दूसरी अपील दूरदर्शन द्वारा भोपाल गैस पर आधारित एक वृत्तचित्र फिल्म प्रसारित करने से इनकार करने से उत्पन्न हुई।

त्रासदी। न्यायालय ने इन दोनों राज्य-नियंत्रित संस्थाओं के निर्णय को यह देखते हुए दरकिनार कर दिया कि केवल वैध आधारों पर सामग्री को अस्वीकार करने के लिए सार्वजनिक धन द्वारा संचालित प्रकाशनों पर अधिक बोझ है। न्यायमूर्ति ए. एम. अहमदी (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

कोई भी लोकतांत्रिक संस्था और इस अधिकार को दबाने, गला घोंटने या दबाने का कोई भी प्रयास लोकतंत्र के लिए मौत की घंटी की तरह लगेगा और निरंकुशता या तानाशाही की शुरुआत करने में मदद करेगा। यह नहीं कहा जा सकता है कि आधुनिक संचार माध्यम सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाते हैं जनता को घटनाओं और घटनाक्रमों के बारे में सूचित करना और इस तरह मतदाताओं को शिक्षित करना, लोकतंत्र के जीवंत कामकाज के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसलिए, किसी भी व्यवस्था में, विशेष रूप से हमारे जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकप्रिय उपयोग के लिए समाचारों और विचारों का प्रसार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

इसे अस्वीकार करने के किसी भी प्रयास को तब तक अस्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 (2) की शरारत के दायरे में न आए।

संविधान "।

गजानन विशेश्वर बिरजुर बनाम। भारत संघ, 24 याचिकाकर्ता ने माओ के लेखन वाली पुस्तकों को जब्त करने को चुनौती दी जेडोंग जो के प्रावधानों के तहत चीन से आयात किया गया था

23 (1992) 3 एससीसी 637 24 (1994) 5 एससीसी 550 [2019] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सीमा शुल्क अधिनियम। अदालत ने नोट किया कि कारण दर्शाओ नोटिस के साथ-साथ अंतिम आदेशों में यह इंगित करने के लिए कोई विनिर्देश नहीं थे कि अधिसूचना के तहत जब्ती क्यों की गई थी। इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने कहाः

" 10. ..... हमें अपने जैसे लोकतांत्रिक समाज में विचार नियंत्रण के प्रयासों पर अपनी नाखुशी व्यक्त करनी चाहिए। मानव इतिहास इस तथ्य का गवाह है कि सभी विकास और सभी प्रगति विचार की शक्ति के कारण होती है और विचार नियंत्रण का हर प्रयास विफल हो जाता है। एक विचार की कभी हत्या नहीं की जा सकती। दमन कभी नहीं हो सकता सफल स्थायी नीति। इससे जो भी सतह की शांति पैदा होती है, वह गलत है। यह एक दिन फट जाएगा। हमारा संविधान एक मुक्त व्यापार की अनुमति देता है, अगर हम विचारों और विचारधाराओं में अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं। यह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है-संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2) के संदर्भ में एकमात्र सीमा कानून है।

विचार नियंत्रण हमारी संवैधानिक योजना के लिए अलग है। एस. रंगराजन बनाम। पी. जगजीवन राम, 25 ए डिवीजन बेंच

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक तमिल फिल्म ओरे ओरु ग्रामातिले को दिए गए यू-सर्टिफिकेट ("सभी उम्र के लिए उपयुक्त") को रद्द कर दिया था। आरक्षण। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से न्यायमूर्ति जगन्नाथ शेट्टी ने बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए राज्य के सकारात्मक कर्तव्य पर जोर दियाः

" हम यह दुखी करने वाला सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर राज्य इसकी रक्षा के लिए ध्यान नहीं देता है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा का क्या फायदा है? यदि फिल्म आपत्तिजनक नहीं है और इसे अनुच्छेद 19 (2) के तहत संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, तो प्रदर्शन और जुलूस या हिंसा की धमकी के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया नहीं जा सकता है। यह कानून के शासन को नकारने और ब्लैकमेल और धमकी के सामने आत्मसमर्पण करने के समान होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है क्योंकि यह राज्य के खिलाफ गारंटीकृत स्वतंत्रता है। राज्य अपनी दलील नहीं दे सकता है

प्रतिकूल दर्शकों की समस्या को संभालने में असमर्थता। इसे रोकना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना इसका अनिवार्य कर्तव्य है।

अदालत ने यह भी माना कि फिल्म को दो पुनरीक्षण समितियों द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई थीः

" इस मामले में, दो पुनरीक्षण समितियों ने फिल्म को मंजूरी दी है। इसके सदस्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं।

25 (1989) 2 एस. सी. सी. 574 इंडिबिलिटी क्रिएटिव पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. पश्चिम बंगाल सरकार [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

विविध अनुभव। वे समुदाय के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने अधिनियम के उद्देश्यों और इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए दिशानिर्देशों के आलोक में फिल्म का मूल्यांकन किया है। हम नहीं करते।

सोचिए कि सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए फिल्म को मंजूरी देने में कुछ भी गलत या संविधान के विपरीत है।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल अनुच्छेद 19 (2) में सीमित परिस्थितियों में प्रतिबंधित किया जाना चाहिएः

" अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो वैध और संवैधानिक रूप से संरक्षित है, लोगों के एक असहिष्णु समूह द्वारा फिरौती के लिए नहीं रखी जा सकती है। अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौलिक स्वतंत्रता को केवल अनुच्छेदों में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए यथोचित रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

19 (2) और प्रतिबंध को आवश्यकता के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए।

और न कि सुविधा या समीचीनता की तेज़ धूप। खोलें।

सरकारी नीतियों और संचालन की आलोचना कोई आधार नहीं है। अभिव्यक्ति को सीमित करने के लिए। हमें दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता का अभ्यास करना चाहिए। असहिष्णुता लोकतंत्र के लिए उतनी ही खतरनाक है जितनी कि

व्यक्ति स्वयं। ”

डी. सी. सक्सेना बनाम भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश 26,

सी. ई. के. रामास्वामी, जिन्होंने न्यायालय की राय दी, ने राय दी

" 30. समान रूप से, सार्वजनिक मुद्दों पर बहस निर्बाध, मजबूत और व्यापक रूप से खुली होगी। इसमें सरकारी और सरकारी अधिकारियों की तीखी, व्यंग्यात्मक और कभी-कभी अप्रिय तीखी आलोचना भी शामिल हो सकती है। इस क्षेत्र में संयम की अनुपस्थिति एक राजनीतिक दल को सत्ता में वापस लाने के लिए संवैधानिक जनादेश के अनुरूप सरकार के अनुरूप एक अच्छी तरह से सूचित और राजनीतिक रूप से परिष्कृत चुनावी बहस को प्रोत्साहित करती है। सार्वजनिक मुद्दों पर बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का निषेध बहस को रोकता है और दबा देता है

सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रश्न जो दीर्घकालिक रूप से समुदाय की स्थिरता को खतरे में डालते हैं और अधिक संभावित क्रांति के लिए स्रोत और प्रजनन को अधिकतम करते हैं।

के. एम. शंकरप्पा बनाम भारत संघ, 27 सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा के अधिकारों को चुनौती दी गई थी। इस धारा ने अंतर्वर्ती सरकार को इस संबंध में कोई भी आदेश पारित करने में सक्षम बनाया जो वह उचित समझे6) 5 एस. सी. सी. 216) 1 एस. सी. सी. 582 [2019] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कोई भी फिल्म जो अधिनियम के तहत गठित बोर्ड या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित थी या उसके द्वारा तय की गई थी, जो केंद्र सरकार को बोर्ड या न्यायाधिकरण के निर्णयों की समीक्षा या संशोधन करने की शक्ति देती है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि केंद्र सरकार के लिए "जनता" के कारण ऐसी शक्ति बनाए रखना आवश्यक था।

बोर्ड या ट्रिब्यूनल द्वारा फिल्म को मंजूरी दिए जाने के बाद कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करने वाली कुछ फिल्मों के प्रति नाराजगी। इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दियाः

" हम विद्वान वकील द्वारा व्यक्त की गई आशंका को समझने में विफल हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति हो सकती है। एक बार जब एक विशेषज्ञ निकाय ने जनता पर फिल्म के प्रभाव पर विचार किया है और फिल्म को मंजूरी दे दी है, तो यह कहने का कोई बहाना नहीं है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति हो सकती है। यह देखना संबंधित राज्य सरकार का काम है कि कानून और व्यवस्था बनी रहे। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में अलग-अलग विचार होने चाहिए। केवल इसलिए कि समाज के एक छोटे से वर्ग का दृष्टिकोण न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग है और वह गैरकानूनी तरीकों से अपने विचार व्यक्त करने का विकल्प चुनता है, कार्यपालिका के लिए न्यायाधिकरण के निर्णय की समीक्षा या संशोधन करने का कोई आधार नहीं होगा। ऐसे मामले में, सरकार का स्पष्ट कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करके कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाए।

महानिदेशक में, दूरदर्शन महानिदेशालय

वी. आनंद पटवर्धन, 28, सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ एक वृत्तचित्र फिल्म को दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए अस्वीकार कर दिया गया था। फिल्म के पहले भाग को 'यू' प्रमाण पत्र और दूसरे भाग को सेंसर बोर्ड द्वारा 'ए' प्रमाण पत्र दिया गया था। इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति ए. आर. लक्ष्मणन ने कहाः

" 44. हमारी राय में, प्रत्यर्थी को अपना संदेश देने का अधिकार है

वृत्तचित्र के माध्यम से महिलाओं के उत्पीड़न, पुरुषत्व की त्रुटिपूर्ण समझ और सांप्रदायिक हिंसा की बुराइयों पर धारणा उनके
द्वारा निर्मित फिल्म। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो वैध और संवैधानिक रूप से संरक्षित है, को केवल एक टोपी गिरने पर फिरौती के लिए नहीं रखा जा सकता है। फिल्म में पूरी तरह से एक गंभीर संदेश है और यह वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक है। दूरदर्शन

सार्वजनिक धन द्वारा वित्त पोषित एक राज्य नियंत्रित एजेंसी होने के नाते प्रतिवादी के वृत्तचित्र को प्रदर्शित करने से इनकार नहीं किया जा सकता था सिवाय इसके कि

निर्दिष्ट वैध आधारों पर "।

28 (2006) 8 एस. सी. सी. 433 इंडिबिलिटी क्रिएटिव पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. पश्चिम बंगाल सरकार [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

आगे कहा गयाः

" 45. अपीलकर्ताओं का वर्तमान मामले में अपनी खुद की सर्वसम्मत सिफारिशों के बावजूद फिल्म का प्रसारण करने से इनकार इस न्यायालय के निर्देश के अनुसार गठित समितियाँ एक अलग मुद्दा है जिसे संबोधित किया जाना चाहिए। बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने अधिकारियों के लिए अपने विवेकाधिकार को प्रतिस्थापित नहीं किया है। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि जब निर्णय लेने की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ही प्रसारण की सिफारिशें की गई हैं, तो दूरदर्शन के लिए यह खुला नहीं है कि वह केवल टालमटोल करने के लिए अन्य साधन खोजे।

यह सिफारिश "।

आनंद चिंतामणि दिघे बनाम। महाराष्ट्र राज्य ने एक अधिसूचना जारी कर घोषणा की थी कि "मी नाथूराम गोडसे बोल्ताय" नामक प्रत्येक नाटक और इसके अनुवाद जराती या कोई अन्य भाषा सरकार को जब्त कर ली जाएगी।

अधिसूचना पर रोक लगाने वाला बंबई उच्च न्यायालय का आदेश,

फ्यूस (डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.) ने इस प्रकार राय दीः

" 6.....हमारे समाज की ताकत और संवैधानिक संरचना की स्थिरता विभिन्न दृष्टिकोणों और संस्कृतियों को समायोजित करने की इसकी क्षमता में निहित है। एक लोकतांत्रिक जीवन शैली के लिए प्रतिबद्ध समाज की परिपक्वता उतनी ही निहित है जितनी उसके उन लोगों के लिए सम्मान में है जो इसके अनुरूप हैं और उतना ही उन लोगों के लिए सम्मान में जो नहीं करते हैं। संविधान आस्तिक और अविश्वासी, रूढ़िवादी के साथ-साथ उदारवादी, मूल के साथ-साथ परिधि पर उन लोगों के लिए सम्मान की एक स्वस्थ परंपरा को संरक्षित करता है; अज्ञेयवादी और विधर्मी। हालांकि नियंत्रण की प्रक्रिया लोकतांत्रिक मूल्यों के एक समूह के लिए विदेशी है। यह वास्तव में समाज में एक खतरनाक प्रवृत्ति होगी यदि उन लोगों के मौलिक अधिकारों को कुचला जाए जो बहुमत के विचारों के विपरीत हैं क्योंकि वे विचार की प्रचलित प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं हैं।

अदालत ने कहाः

" 15 ..... संविधान ललित कला और संस्कृति के क्षेत्रों में मानव प्रयास में लगे लोगों की रचनात्मक अभिव्यक्ति की रक्षा करता है। हालाँकि, अनुच्छेद 19 (1) (ए) एकमात्र ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिससे साहित्यिक गतिविधियों के संरक्षण का पता लगाया जा सकता है। इसके साथ जोड़ा गया

व्यापक समाज और समुदाय का यह जानने का अधिकार है कि

जानकारी प्राप्त करें और सूचित रहें। सूचना का अधिकार या जानने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक आंतरिक पहलू है। एक जानकार नागरिक के पास समाचार और जानकारी प्राप्त करने के साधन होने चाहिए, और इसके अलावा, विचारों, धारणाओं और विचारों को प्राप्त करने के लिए। वे धारणाएँ और दृष्टिकोण व्यापक रूप से आयोजित सामाजिक,

आर्थिक और राजनीतिक विश्वास। दृष्टिकोण की विविधता को बढ़ावा देता है समाज की ओर से पसंद के अधिकार, निर्णय लेने के अधिकार और धारणाओं को बनाने के अधिकार का प्रयोग करने की क्षमता जो एक लोकतांत्रिक प्रणाली के कामकाज के मूल में है।

एफ. ए. पिक्चर इंटरनेशनल बनाम केंद्रीय फिल्म बोर्ड

प्रमाणन, मुंबई, 3 0 याचिकाकर्ता को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा इस आधार पर एक फिल्म प्रदर्शित करने के लिए प्रमाणन से इनकार कर दिया गया था कि फिल्म "हिंसा और वीभत्स हत्याओं के भयानक दृश्यों से भरी हुई थी" और कि "कुछ पात्रों की वास्तविक जीवन के व्यक्तित्वों के साथ निश्चित समानता होती है"। बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों को रद्द कर दिया। हममें से एक (डी. वाई. चंद्रचूड, जे.) ने कहाः

" 12 ..... विवादास्पद मुद्दों से निपटने वाली फिल्मों को अनिवार्य रूप से विवादास्पद चीज़ों को चित्रित करना पड़ता है। सांप्रदायिक हिंसा की पृष्ठभूमि पर आधारित एक फिल्म से चित्रण से बचने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

हिंसा से। निदेशक के पास उसे व्यापार के सभी साधन उपलब्ध हैं। व्यंग्य, हास्य और अस्तित्व के सांसारिक स्तरों से प्रत्येक को चौंका देने की क्षमता ही कला रूपों को सुशोभित करती है। संविधान सामाजिक वास्तविकता को उसके सभी रूपों में चित्रित करने के कलाकार के अधिकार की रक्षा करता है। उनमें से कुछ चित्रण समाज में प्रचलित मूल्यों और रूढ़ियों पर सवाल उठाने का रूप ले सकते हैं। साहित्य की शक्ति लेखक की आलोचना करने की क्षमता में निहित है।

आम तौर पर आयोजित विश्वास और सामान्य मानव दोष। समान रूप से, एक फिल्म के लेखक, निर्माता और निर्देशक के पास सामाजिक वास्तविकता की भयावहता को चित्रित करने का विवेक होता है।

न्यायालय ने आगे कहाः

" प्रमाणन प्राधिकरण और न्यायाधिकरण ने इस आधार पर फिल्म को अस्वीकार करने में स्पष्ट रूप से गलती की थी कि इसमें ऐसे पात्र थे जो वास्तविक जीवन के व्यक्तित्वों से समानता रखें। संवैधानिक

30 एयर 2005 बॉम 145 इंडिबिलिटी क्रिएटिव पी. वी. टी. लिमिटेड वी. पश्चिम बंगाल सरकार [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संरक्षण जो एक फिल्म निर्माता को मिलता है, वह नहीं है

इस आधार पर शर्त लगाई गई कि उसे कुछ ऐसा चित्रित करना चाहिए जो

जीवन के लिए सच नहीं है। चुनाव पूरी तरह से उसका है। जो पकड़ते हैं।

महत्वपूर्ण पदों पर कंधे चौड़े होने चाहिए।

स्वयं की आलोचना को अनुग्रह के साथ स्वीकार करने के लिए पर्याप्त है।

आलोचनात्मक मूल्यांकन लोकतंत्र की आधारशिला है और

अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में फिल्म की शक्ति इसकी क्षमता में निहित है। उस मूल्यांकन में योगदान करने के लिए।

(जोर दिया गया)

विशेष वर्मा बनाम। बिहार राज्य, 3 1 एकल न्यायाधीश

पटना उच्च न्यायालय ने एक टेलीविजन धारावाहिक के निर्माण में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। यह आरोप लगाया गया था कि धारावाहिक के पात्र बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार से मिलते-जुलते हैं और धारावाहिक उन्हें बदनाम करने का प्रयास था। न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 9 ..... एक रचनात्मक कलाकार समाज या समाज की तस्वीर पेश करने के लिए स्वतंत्र है।

राजनीतिक व्यवस्था या राजनीति में व्यक्ति जिस तरह से वह समझता है।

वे राजनीतिक नेताओं या व्यवस्था पर तीखा राजनीतिक व्यंग्य कर सकते हैं।

बेशक शालीनता, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन। वैध

अति संवेदनशील लोगों के एक वर्ग की असहिष्णुता का आधार उतरते हुए सुनने की आदत नहीं है। यही लोकतंत्र का सार है।

और हम एक लोकतांत्रिक देश में रहने का दावा करते हैं। लोग और अधिक इसलिए, अदालतों (न्यायिक मजिस्ट्रेटों सहित) को इस बात का एहसास होना चाहिए।

मकबूल में फिदा हुसैन बनाम राजकुमार पांडे, 32

(" मकबूल फिदा हुसैन), याचिकाकर्ता पर उनकी पेंटिंग के लिए अश्लीलता और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें भारत को एक नग्न महिला के रूप में दिखाया गया था, जिसके बाल हिमालय के रूप में बह रहे थे। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल (जैसा कि वे उस समय थे) ने चित्रकार की कलात्मक स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए कहा:

" ..... बहुलवाद लोकतंत्र की आत्मा है। असहमति का अधिकार है

लोकतंत्र की पहचान। वास्तविक लोकतंत्र में असहमति रखने वाले को ऐसा करना चाहिए

घर जैसा महसूस करें और घबराहट में उसे नहीं देखना चाहिए।

कंधे को कैद या शारीरिक नुकसान या आर्थिक और सामाजिक नुकसान का डर उनके अपरंपरागत या आलोचनात्मक विचारों के लिए प्रतिबंध। वहाँ होना चाहिए।

हम जिस विचार से नफरत करते हैं, उसके लिए स्वतंत्र रहें। अगर बोलने के बाद कोई स्वतंत्रता नहीं है तो बोलने की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। लोकतंत्र की वास्तविकता को इस बात से मापा जाना चाहिए कि यह कितनी स्वतंत्रता और समायोजन प्रदान करता है।

प्रकाश झा प्रोडक्शंस बनाम। भारत संघ, 3 3 33 उत्तर प्रदेश सरकार ने सिनेमाटोग्राफ अधिनियम के तहत गठित सेंसर बोर्ड द्वारा यू/ए प्रमाणित किए जाने के बाद आरक्षण के मुद्दे से निपटने वाली फिल्म 'आरक्षण' के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इसके बावजूद

बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 6 (1) के तहत इस आधार पर फिल्म की प्रदर्शनी को निलंबित करने का आदेश जारी किया कि इससे शांति भंग होने की संभावना थी। के. एम. शंकरप्पा बनाम में निर्णय के बाद। भारत संघ (ऊपर), इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दियाः

" 23. राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना राज्य का दायित्व है और इसलिए राज्य इसे प्रभावी और संभावित रूप से बनाए रखेगा। एक बार जब बोर्ड ने फिल्म को सार्वजनिक रूप से देखने के लिए मंजूरी दे दी है, तो उसके प्रदर्शन को उस तरीके से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है जैसा कि वर्तमान मामले में राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। जैसा कि के. एम. में आयोजित किया गया

शंकरप्पा (सुप्रा) यह राज्य की जिम्मेदारी है।

सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखे "।

एस. तमिलसेल्वन बनाम तमिलनाडु राज्य में, 34 में एक तमिल उपन्यास पर उन परंपराओं का वर्णन करने का आरोप लगाया गया था जो 'अस्तित्व में नहीं थीं और

एक निश्चित क्षेत्र के निवासियों के लिए मानहानिकारक। मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य के अधिकारियों ने गैर-न्यायिक तत्वों की मांगों के आगे घुटने टेक दिए और लेखक को ऐसा करने के लिए मजबूर किया।

पुस्तक की बिना बिकी हुई प्रतियों को वापस लें और बिना शर्त माफी मांगें। मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के लिए बोलते हुए, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल (जैसा कि वे उस समय थे) ने मकबूल फिदा हुसैन (उपरोक्त) में निर्णय का उल्लेख किया और कहा कि "सुरक्षा के सकारात्मक उपायों की आवश्यकता थी"। मामले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

" 180 ..... ऐसी उबलती परिस्थितियों में, यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का परम कर्तव्य था कि कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण से बाहर न जाए, लेकिन यह किसी को भी शांत करने से हासिल नहीं किया जाना चाहिए जो कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेना चाहता है।

342016 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 5960 इंडिबिलिटी क्रिएटिव पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. पश्चिम की सरकार

जे.]

बंगाल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड,

उस व्यक्ति की कीमत जिसने शांतिपूर्वक अपने विचार व्यक्त किए हैं. और अधिकारी वास्तव में प्रकरण में तटस्थ नहीं थे, लेकिन संभवतः एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विपरीत कानून और व्यवस्था के परिदृश्य से अधिक चिंतित थे।

181 ..... हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसे साहित्यिक और सांस्कृतिक मुद्दों का न्याय करने के लिए राज्य और पुलिस अधिकारी सबसे अच्छे नहीं होंगे, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञों और उसके बाद, यदि आवश्यकता हो, तो अदालतों के विवेक पर छोड़ दिया जाता है।

वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में। बनाम भारत संघ, 3 5 इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अधिसूचनाओं और आदेशों पर रोक लगा दी।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणन दिए जाने के बाद कुछ राज्यों ने फिल्म 'पद्मावत' की प्रदर्शनी पर प्रतिबंध लगा दिया और अन्य राज्यों को इसी तरह के आदेश और अधिसूचना जारी करने से रोक दिया। हममें से एक (न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा) (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में)

इस प्रकारः

राज्यों द्वारा फिल्म का प्रमाणीकरण, गैर-प्रदर्शन वैधानिक प्रावधानों के विपरीत होगा और याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा। " 9 पीठ ने राज्य प्राधिकरणों के दायित्व पर स्पष्ट किया कि

जब फिल्म प्रदर्शित की जा रही हो तो कानून और व्यवस्था बनाए रखें:

" 20. तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमें दोहराव के माध्यम से और विरोधाभास के किसी भी डर के बिना यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब भी फिल्म प्रदर्शित की जाती है तो कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है, जिसमें उन व्यक्तियों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करना भी शामिल होगा जो फिल्म में शामिल हैं।

फिल्म की प्रदर्शनी और फिल्म देखने वाले दर्शक, जब भी वांछित या आवश्यक हो।

15. एक अकादमिक लेख फिल्म के साथ समस्या को व्यक्त करता है

निम्नलिखित शब्दों में भारत में सेंसरशिपः

" भारत में फिल्म सेंसरशिप ने नागरिक और आबादी के बीच अंतर और तनाव का उदाहरण दिया जो समकालीन लोकतंत्र की एक विशिष्ट विशेषता है। हालांकि लोकतंत्र का विमर्श नागरिक की आकृति और उसके परिणामों पर आधारित है।

स्वायत्तता, समान अधिकार और स्व-प्रतिनिधित्व, भारत जैसे उत्तर-औपनिवेशिक राष्ट्र-राज्यों के आधुनिकीकरण के एजेंडे का अनुमान है।

आबादी जो सरकारी नीति के उद्देश्य हैं

नागरिकों की तुलना में। 36

वर्तमान मामले में अधिकारियों का दृष्टिकोण नागरिकों को स्वायत्तता और स्वयं की क्षमता से वंचित करने वाले "विषयों" के रूप में मानता है।

दृढ़ संकल्प, अभिव्यक्ति के उन रूपों को तय करने के लिए सरकार में व्यापक अधिकार निहित करके जिन्हें ये "विषय" प्राप्त कर सकते हैं और जिन पर "संपर्क रखने के लिए भरोसा किया जा सकता है"। 3 7

16. पुलिस स्वतंत्र समाज में स्व-नियुक्त अभिभावक नहीं है

सार्वजनिक नैतिकता। उनके बल का वर्दीधारी अधिकार कानून के शासन के अधीन है। वे असहमति के दमन और भाषण और अभिव्यक्ति में बाधा डालने में इच्छुक सहयोगी होने के अधिकार को अपने लिए घमंड नहीं कर सकते। संयुक्त आयुक्त इस तथ्य से बेखबर नहीं थे कि फिल्म उनके आने के कुछ दिनों के भीतर ही रिलीज होने वाली थी।

कोलकाता शहर और राज्य भर के सिनेमाघरों में संचार। यदि निर्माताओं के अधिकार पर कोई संदेह था जब निर्माताओं ने उन्हें तुरंत सूचित किया कि फिल्म को सी. बी. एफ. सी. प्रमाणित किया गया है, तो फिल्म का प्रदर्शन किया गया। वैधानिक प्राधिकरण

सिनेमाटोग्राफ अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए एक फिल्म को प्रमाणित करना सी. बी. एफ. सी. में निहित है। धारा 4,5,5 ए और 5 बी ने फिल्मों की परीक्षा और प्रमाणन के लिए एक वैधानिक संहिता प्रदान की।

सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए। धारा 5 बी38 की उप-धारा (1) में उन आधारों का प्रावधान है जिनके आधार पर किसी फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। प्रमाणन देने से इनकार करने का आदेश निर्धारित उपायों के अधीन है।

3 7 गौतम भाटिया, अपराध, आघात या अशांतिः भारतीय संविधान के तहत बोलने की स्वतंत्रता (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2016), पृष्ठ 183 पर 385 बी फिल्मों को प्रमाणित करने में मार्गदर्शन के लिए सिद्धांत-(1) एक फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए प्रमाणित नहीं किया जाएगा, यदि प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी की राय में, फिल्म या इसका कोई हिस्सा राज्य की सुरक्षा (भारत की संप्रभुता और अखंडता), विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हितों के खिलाफ है, या अदालत की अवमानना की मानहानि शामिल है या किसी भी अपराध के लिए उकसाने की संभावना है।

(2) उप-धारा (1) में निहित प्रावधानों के अधीन, केंद्र सरकार ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो वह उन सिद्धांतों को निर्धारित करते हुए उचित समझे जो सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए फिल्मों को मंजूरी देने में इस अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी का मार्गदर्शन करेंगे।

इंडिबिलिटी क्रिएटिव पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. पश्चिम बंगाल सरकार [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अधिनियम में। राज्य अधिनियम (पश्चिम बंगाल सिनेमा (विनियमन) अधिनियम 1954 की धारा 6 3 9) और केंद्रीय अधिनियम (सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 1340) उन शर्तों का प्रावधान करते हैं जिनमें राज्य सरकार, या जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार (या एक स्थानीय प्राधिकरण) किसी फिल्म की प्रदर्शनी को निलंबित कर सकती है, जहां इससे शांति भंग होने की संभावना है। कोई भी आदेश जो इन वैधानिक प्रावधानों की शर्तों के तहत जारी किया जाता है, वैधानिक नियंत्रण के साथ-साथ

अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की पर्यवेक्षी अधिकारिता या, जैसा भी मामला हो, अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय की मूल अधिकारिता। ये

कानूनों की व्याख्या कानून के ढांचे के अनुसार की जानी चाहिए। एक अधिकता

39 धारा 6: राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की कुछ मामलों में फिल्मों की प्रदर्शनी को निलंबित करने की शक्ति

(1) पूरे पश्चिम बंगाल या उसके किसी भाग के संबंध में राज्य सरकार और अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर के क्षेत्र के संबंध में एक जिला मजिस्ट्रेट, यदि वह

(2) जहाँ उप-धारा (1) के अधीन आदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया है, वहाँ उसकी एक प्रति, उसके कारणों के विवरण के साथ, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तुरंत जिला मजिस्ट्रेट की अधिकारिता के तहत जिले वाले प्रभाग के आयुक्त को भेजी जाएगी और ऐसा आयुक्त या तो आदेश की पुष्टि या निर्वहन कर सकता हैः

बशर्ते कि ऐसे किसी आदेश की पुष्टि करने से पहले, ऐसा आयुक्त फिल्म प्रदर्शित करने से रोके गए व्यक्तियों को ऐसे आदेश के खिलाफ कारण बताने का अवसर देगा।

(3) इस धारा के तहत किया गया आदेश उसकी तारीख से दो महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा, लेकिन राज्य सरकार, अपने द्वारा किए गए आदेश की स्थिति में, और आयुक्त, एक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश के मामले में और उसके द्वारा पुष्टि कर सकता है, अगर उसकी राय है कि आदेश लागू रहना चाहिए, तो निर्देश दे सकता है कि निलंबन या निषेध की अवधि को ऐसी आगे की अवधि या अवधियों तक बढ़ाया जाएगा जो वह उचित समझे।

कुछ मामलों में फिल्में। 13. (1) लेफ्टिनेंट-गवर्नर या, जैसा भी मामला हो, मुख्य आयुक्त, [पूरे या किसी केंद्र शासित प्रदेश के किसी हिस्से] के संबंध में और अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर जिले के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, यदि उनकी राय है कि सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जा रही किसी भी फिल्म से शांति भंग होने की संभावना है, तो आदेश द्वारा फिल्म की प्रदर्शनी को निलंबित कर सकते हैं और ऐसे निलंबन के दौरान फिल्म को निलंबित कर सकते हैं। यथास्थिति, राज्य, भाग या जिले में एक अप्रमाणित फिल्म मानी जाएगी। (2) जहां, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उप-धारा (1) के तहत कोई आदेश जारी किया गया है, वहां उसकी एक प्रति, इसलिए कारणों के विवरण के साथ, केंद्र सरकार को तुरंत भेजी जाएगी और केंद्र सरकार या तो आदेश की पुष्टि या निर्वहन कर सकती है।

इस धारा के तहत किया गया आदेश उसकी तारीख से दो महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा, लेकिन केंद्र सरकार, यदि उसकी राय है कि आदेश लागू रहना चाहिए, तो निर्देश दे सकती है कि निलंबन की अवधि को ऐसी आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा जो वह उचित समझे।

मूल्य स्थापित किए जा सकते हैं। प्रचलित सामाजिक मूल्यों और लोकप्रिय संस्कृतियों पर सवाल उठाते हुए, प्रत्येक कला रूप एक दृष्टिकोण का समर्थन करना चाहता है। कलाकार की दृष्टि का आधार अस्तित्व के लिए एक नया अर्थ खोजने की इच्छा है। ऐसा करने के प्रयास में कलाकार को आलोचना और आलोचना करने की पूरी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यंग्य और विडंबना इस खोज के इच्छुक सहयोगी हैं मनोरंजन करते हुए साथ ही आत्म-चिंतन की ओर ले जाते हैं। हम दूसरों की कमियों में अपने जीवन की छवि पाते हैं। हमारे अनुभव प्रदान करते हैं

जिसका अर्थ है हमारा अस्तित्व। कला मुख्यधारा के लिए उतनी ही है जितनी हाशिए के लिए। संविधान प्रत्येक नागरिक की उतना ही विश्वास करने की क्षमता की रक्षा करता है जितना कि संवाद करने के लिए, उतना ही अवधारणा बनाने के लिए जितना साझा करने के लिए। सार्वजनिक शक्ति को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि हमारा एक स्वतंत्र रचनात्मक पी. वी. टी. लिमिटेड है।

जे.]

बंगाल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड,

लोकतंत्र केवल इसलिए कि संविधान अविभाज्य को मान्यता देता है

मनुष्य के रूप में हमारे अस्तित्व से अविभाज्य। स्वतंत्रता मानव अस्तित्व की परिभाषित विशेषता है। स्वतंत्रताएँ सत्ता के अधीन नहीं हैं। सार्वजनिक शक्ति जनता द्वारा सरकार को सौंपी जाती है। हमारा एक नियंत्रित है संविधान, एक ऐसा संविधान जो स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के पूर्ण तत्व और स्वतंत्रता के लिए शक्ति की जवाबदेही को मान्यता देता है। एक नाटक के लेखक के विचार, एक कवि के छंद या एक कार्टूनिस्ट के रेखाचित्र उन लोगों के लिए सुखद नहीं हो सकते हैं जिनकी आलोचना की जाती है। जो असहमत हैं, उनके पास एक सरल उपाय हैः फिल्म न देखना, किताब के पन्ने न मोड़ना या जो संगीत नहीं है उसे न सुनना। संविधान उन लोगों को अनुमति नहीं देता है जो अधिकार में हैं और दूसरों की विश्वास करने, सोचने और व्यक्त करने की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए असहमत हैं। 'विचारों' को संप्रेषित करने की क्षमता मानव प्रयास का एक वैध क्षेत्र है और इसके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है

जिन लोगों को वे संबोधित किए जाते हैं, उनके लिए विचारों की स्वीकार्यता। जब किसी भी रूप में कला को चित्रित करने की क्षमता अतिरिक्त संवैधानिक अधिकार के अधीन होती है, तो एक गंभीर खतरा होता है कि मौलिक मानव स्वतंत्रताएँ

अपारदर्शिता और मनमाने राज्य व्यवहार के बादल से प्रभावित होना।

17. जैसा कि यह मामला इंगित करता है, सी. बी. एफ. सी. द्वारा प्रमाणित एक फिल्म के निर्माता को सावधानीपूर्वक व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है।

फिल्म के प्रदर्शन के लिए अनुबंध सहित। अतिरिक्त संवैधानिक अधिकार का उपयोग वैध अपेक्षाओं के लिए विनाशकारी है। संवैधानिक योजना के तहत, प्रतिबंध केवल राज्य द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत लगाए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य ने न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अपनी वैधानिक शक्तियों का भी सहारा नहीं लिया है

राज्य या संघ के कानून के तहत। यदि ऐसा है, तो अदालत के समक्ष कुछ स्पष्टीकरण आना चाहिए कि फिल्म को रिलीज के तुरंत बाद, एक ही झटके में सिनेमाघरों से एक साथ क्यों हटा दिया गया था। याचिकाकर्ताओं की आशंका कि यह एक ऐसी कार्रवाई थी जिसके बाद

संयुक्त पुलिस आयुक्त का 11 फरवरी 2019 का पत्र निराधार नहीं है। आई. एन. ओ. एक्स. द्वारा निर्माता को संबोधित पत्र

विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि उन्हें अधिकारियों द्वारा 'मेहमानों के हित' में प्रदर्शन को बंद करने का निर्देश दिया गया था। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सार्वजनिक शक्ति का स्पष्ट दुरुपयोग था। पुलिस ने

उन्हें कानून लागू करने का काम सौंपा गया है। वर्तमान मामले में, पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपनी वैधानिक शक्तियों का उल्लंघन किया है और [2019] 5 एस. सी. आर. बन गई है।

भाषण को चुप कराने के एक ठोस प्रयास में उपकरण, प्रचलित संस्कृतियों की आलोचना करने वाले विचार और कानून का पालन करने वाले नागरिकों को अधीनता की धमकी देते हैं।

18. अनुच्छेद 19 द्वारा जिन स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है, वे हैं:

सार्वभौमिक। अनुच्छेद 19 (1) में कहा गया है कि सभी नागरिकों को वे स्वतंत्रताएँ मिलेंगी जिन्हें वह मान्यता देता है। राजनीतिक स्वतंत्रता एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण करके राज्य पर एक संयमित प्रभाव डालती है जिसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए, इन स्वतंत्रताओं को राज्य पर संयम के दायित्वों को लागू करने के लिए माना जाता है। लेकिन, राज्य पर 'नकारात्मक' प्रतिबंध लगाने के अलावा ये स्वतंत्रताएँ एक सकारात्मक जनादेश भी लागू करती हैं। कानून के शासन को लागू करने वाले एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में अपनी क्षमता में, राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन स्थितियों में ये स्वतंत्रताएँ पनपती हैं, उन्हें बनाए रखा जाए। अंतरिक्ष में बोलने और अभिव्यक्ति के स्वतंत्र अभ्यास के लिए आरक्षित, जब संगठित हित स्वतंत्रता के अस्तित्व को खतरे में डालते हैं तो राज्य बेपरवाह नहीं दिख सकता है। राज्य उन स्थितियों की व्यापकता सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है जिनमें उन स्वतंत्रताओं का प्रयोग किया जा सकता है। राज्य के उपकरणों का उपयोग स्वतंत्रता के प्रयोग को प्रभावी बनाने के लिए किया जाना चाहिए। जब संगठित हितों से थिएटर मालिकों या दर्शकों की संपत्तियों को प्रतिशोध के साथ खतरा होता है, तो यह सुनिश्चित करना राज्य का स्पष्ट कर्तव्य है कि भाषण भीड़ के डर से चुप न हो। जब तक हम ऐसी परिस्थितियाँ बनाने और बनाए रखने के लिए राज्य पर एक सकारात्मक दायित्व नहीं पढ़ते हैं जिसमें संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का प्रयोग किया जा सके, तब तक एक वास्तविक खतरा है कि कला और साहित्य असहिष्णुता का शिकार हो जाएंगे। वर्तमान मामले में, हमारा विचार है कि निर्माताओं, अभिनेताओं और दर्शकों के मौलिक अधिकारों पर आक्रमण करने का एक असंवैधानिक प्रयास किया गया है। इससे भी बदतर, उनमें से एक उदाहरण बनाकर, आलोचना और आलोचना को चुप कराने का प्रयास किया गया है। अन्य जो इसी तरह का उद्यम शुरू करते हैं, वे 'इसी तरह के दुस्साहस' के भयावह प्रभाव के अधीन होंगे। इसे एक स्वतंत्र समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता सत्ता की प्रार्थना नहीं है।

19. यह हमें राहत के मुद्दे की ओर ले जाता है। इस न्यायालय के 15 मार्च 2019 और 25 मार्च 2019 के आदेशों द्वारा कई निर्देश जारी किए गए थे।

पश्चिम बंगाल राज्य में, प्रधान सचिव, गृह और पुलिस महानिदेशक। हम जारी किए गए निर्देशों को बनाए रखते हैं और उनकी पुष्टि करते हैं। हम एक मैंडमस जारी करते हैं जो राज्य को फीचर फिल्म 'भोबिष्योतर भूत' के वैध प्रदर्शन को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के अतिरिक्त संवैधानिक साधनों का सहारा लेने से रोकता है। राज्य विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म प्रदर्शित करने वाले थिएटर मालिकों की संपत्तियों को उनकी सुरक्षा के प्रयासों के खिलाफ दर्शकों की तरह ही उचित रूप से संरक्षित किया जाए।

इंडिबिलिटी क्रिएटिव पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. पश्चिम बंगाल सरकार [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

20. 16 फरवरी 2019 को सिनेमाघरों से फिल्म को हटाने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं को नुकसान उठाना पड़ा है।

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार और एक वैध व्यवसाय को आगे बढ़ाने के उनके अधिकार का उल्लंघन। यह आयोग के कार्यों और किसी भी स्थिति में, याचिकाकर्ताओं की मौलिक स्वतंत्रताओं की पुष्टि करने, उन्हें पूरा करने और उनका सम्मान करने में विफल रहने में राज्य की ओर से चूक के कारण हुआ है। हमारा स्पष्ट रूप से विचार है कि वर्तमान मामले में उपचारात्मक मुआवजे के अनुदान के लिए सार्वजनिक कानून में एक उपाय की आवश्यकता है। हम उत्तरदाताओं को आदेश देते हैं और याचिकाकर्ताओं को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश देते हैं, जिसे हम वर्तमान फैसले की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर 20 लाख रुपये के रूप में निर्धारित करते हैं।

21. रिट याचिका की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है। याचिकाकर्ता एक महीने के भीतर भुगतान की जाने वाली 1 लाख रुपये की कार्यवाही की लागत के हकदार होंगे।

दिव्या पांडे

लिखित

याचिका की अनुमति दी गई।